न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 624 / 2015

वादीः—

1. शांतिदेवी पुत्री रामसिंह पत्नि दलपतसिंह, जाति राजपूत (रजपूत), निवासी डिंगाई हाल निवासी गुन्दोज, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. सायरी पुत्री रामसिंहजी पत्नि घीसुसिंहजी, जाति रजपूत
2. उमी पुत्री रामसिंहजी पत्नि जोरसिंहजी, जाति रजपूत, निवासीगण, डिंगाई, तहसील पाली, जिला पाली

   मृतक दरिया पुत्री रामसिंहजी पत्नि गोपालसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी डिंगाई, हाल निवासी गोदावास, तहसील पाली के कायम मुकाम—
3. रिंकु पुत्री गोपालसिंह, उम्र 19 वर्ष
4. मंशा पुत्री गोपालसिंह, उम्र 17 वर्ष
5. कन्या पुत्री गोपालसिंह, उम्र 15 वर्ष
6. पूजा पुत्री गोपालसिंह, उम्र 12 वर्ष
7. जोगसिंह पुत्र गोपालसिंह, उम्र 10 वर्ष, जातिगण रजपूत, निवासीगण गोदावास, तहसील पाली, जिला पाली जरिये कुदरती वली पिता गोपालसिंह पुत्र मगसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी गोदावास, तहसील पाली नाबालिगान प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 का

   मृतक छोगसिंह उर्फ छोगा पुत्र जालमसिंह गोदीपुत्र लच्छा, जाति रजपूत, निवासी डिंगाई, तहसील पाली पाली के कायम मुकामः—
8. भंवरसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा (तथाकथित अपने आपको रामसिंह का गोदी पुत्र बताता है)
9. राजूसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा
10. गिरधारीसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा
11. छतरसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

12. अणचीकंवर बेवा छोगसिंहजी उर्फ छोगा, जातिगण राजपूत, निवासीगण डिंगाई, तहसील पाली , जिला पाली
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली, जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री जब्बरसिंह, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 से 7 व 9 से 11

वाद अंतर्गत धारा 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 19-12-2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 132 रकबा 9 बीघा सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि मौजा डिंगाई, तहसील पाली में स्थित है। जिस कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का एकमात्र खातेदार टिनेन्ट वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं मृतक दरियादेवी का पिता रामसिह पुत्र जामलसिंह जी एवं 1/2 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट छोगसिंह उर्फ छोगा पुत्र जालमसिंह गोदी पुत्र लच्छा, जातिगण रजपूत निवासीगण डिंगाई थे एवं रहे तथा अपने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर 1/2, 1/2 हिस्से पर सामलाती में काबिज रह काश्त करते थे।

जिस रामसिंह एवं छोगसिंह उर्फ छोगा का देहान्त हो चुका है एवं उक्त खातेदार रामसिंह की मृत्यु के वक्त रामसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर बेवा के सुमटी एवं जायन्दा पुत्रीयो के वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं दरिया जीवित मौजूद थी एवं रही एवं उक्त आराजी पर रामसिंह की मृत्यु की पश्चात् से काबिज रह काश्त करती थी एवं रही तत्पश्चात उक्त रामसिंह की बेवा सुमटी का भी देहान्त हो गया। जिस सुमटी की मृत्यु के वक्त मृतक सुमटी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारीगण बतौर प्रथम श्रेणी के जायन्दा पुत्रीया वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं दरियादेवी जीवित मौजूद थी एवं रही तत्पश्चात उक्त भूमि के खातेदार रामसिंह एवं रामसिंह की पत्नि सुमटी की जायन्दा पुत्री दरियादेवी का भी देहान्त हो गया। जिस दरियादेवी की मृत्यु के वक्त उक्त मृतक दरियादेवी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर पुत्रीया के रिंकु, मंशा, कन्या, पूजा एवं पुत्र के जोगसिंह जीवित मौजूद थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है जिन्हे हाजा वाद में मृतक दरियादेवी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी होने से बतौर प्रतिवाद संया 3 लगाय 7 बनाया गया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 नाबालिग होने से उक्त प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 के कुदरती वली पिता गोपालसिंह जीवित मौजूद है एंव उक्त प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 उक्त गोपालसिंह के संरक्षण मे है एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 के हितो के विरूद्ध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 वादीनी के साथ सरिक नही होने से इन्हें हाजा वाद में बतौर प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

संख्या 1 लगाय 7 बनाया गया है एवं उक्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 के पिता एवं पति छोगसिंह उर्फ छोगा पुत्र जालमसिंह गोदी पुत्र लच्छा था। जिस छोगसिंह उर्फ छोगा का देहान्त हो चुका है जिस छोगा की मृत्यु के समय बतौर उत्तराधिकारीगण के प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 जीवित मौजूद होने से उक्त छोगसिंह उर्फ छोगा की मृत्यु के पश्चात् के उसके 1/2 हिस्से पर काबिज रह काश्त करते थे, रहे वो है, जिस छोगसिंह उर्फ छोगा का देहान्त हो जा चुकने से उक्त मृतक छोगसिंह उर्फ छोगा की मृत्यु के समय बतौर पुत्रो एवं बेवा के जीवित होने से इन्हे हाजा वाद में बतौर प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 के पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार, पाली भूमिधारी होने से हाजा वाद में बतौर औपचारिक फरिक मुकदमा के प्रतिवादी संख्या 13 बनाया गया है।

जिनके विरूद्ध वादीनी की कोई दादरसी नहीं है। जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की नकले दोय प्रमाणित साथ पेश है जिस जमाबन्दिया में वर्णित आराजी हाजा वाद की वादग्रस्त आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 132 रकबा 9 बीघा सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि मौजा डिंगाई, तहसील पाली की आराजी के 1/2 हिस्सा का खातेदार वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 एवं दरियादेवी के पिता रामसिंह एवं माता सुमटी होने से एवं उक्त रामसिंह व सुमटी के मृत्यु के वक्त उक्त मृतक रामसिंह एवं सुमटी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीगण बतौर जायन्दा पुत्रीया के वादीनी एवं प्रतिवादीनी संख्या 1,2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 की माता दरियादेवी जीवित मौजूद होने से उक्त आराजी के खातेदार रामसिंह व उसके पश्चात् उसकी बेवा सुमटी का देहान्त हो जाने के वक्त से आज दिन तक एकमात्र कब्जा काश्त बतौर उत्तराधिकारीगण के वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 7 का लगातार शामलाती मे चला आ रहा है एवं आज भी उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करते है जिससे अपने पिता रामसिंह व माता सुमटी के 1/2 हिस्से मे से उपरवर्णित आराजी के 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या एक, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या दो एवं 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या तीन लगाय सात थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है जो शामलाती में उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करते थे, रहे वो करते है एवं उक्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 का पिता एवं पति छोगसिंह उर्फ छोगा होने से एवं उक्त छोगसिंह उर्फ छोगा का देहान्त हो जाने से उक्त छोगसिंह, उर्फ छोगा की 1/2 हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या आठ लगाय बारह का कब्जा वो काश्त शामलाती में था एवं रहा है।

वादग्रस्त आराजी का खातेदार रामसिंह पुत्र जालमसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी डिंगाई मय इनकी पत्नि सुमटी के जीवनकाल मे कोई जायन्दा पुत्र नहीं हुआ न ही कोई इनका जायन्दा पुत्र है एवं न ही उक्त रामसिंह मय अपनी पत्नि सुमटी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 8 भंवरसिंह पुत्र छोंगसिंह को गोद ही लिया एवं न ही प्रतिवादी संख्या 8 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंहजी उक्त रामसिंह व सुमटी का गोदीपुत्र या पुत्र है ऐसी स्थिति मे उक्त रामसिंह व सुमटी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

की मृत्यु के वक्त उक्त रामसिंह व सुमटी की जायन्दा पुत्रीया वादीनी प्रविवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 की माता दरियादेवी जीवित मौजूद थी, रही जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मंशानुसार कानूनन एकमात्र बतौर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 7 ही थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह अपने आपको वादीनी के पिता रामसिंह का गोदीपुत्र नहीं होते हुए राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों मय उनक प्रतिनिधि एजेन्ट से मिलावट कर वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामसिंह व सुमटी के हिस्से की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि निस्बत् शुन्य म्युटेशन सख्या 907 के उक्त रामसिंह व सुमटी के स्थान पर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 7 की बजाय प्रतिवादी संख्या 8 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वगैरह में खिलाफ कानून गलत इन्द्राज किया गया जो काबिल दुरूस्ती के है एवं उक्त म्युटेशन संख्या 907 को शुन्य घोषित फरमाया जावे। शुन्य म्युटेशन संख्या 907 की नकल प्रमाणित साथ पेश है खसरा नम्बर 132 रकबा 9 बीघा सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नंबर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 356 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि मौजा डिंगाई, तहसील पाली की आराजी का खातेदार टिनेन्ट रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी की मृत्यु सन् 1960 के पश्चात् हो जाने से उक्त आराजी के 1/2 हिस्से को बहिस्सा बराबर के यानि 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 1 को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 2 को एवं शेष 1/8 हिस्से के खातेदार मृत दरियादेवी पुत्री रामसिंहजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वगैरह में अंकित किया जाना कानूनन एवं इंसाफन लाजमी था वो है जबकि प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादी संख्या 13 के प्रतिनिधि एजेन्टो से साजिश कर प्रतिवादी संख्या 8 वादीनी के पिता रामसिंह एवं माता सुमटी के देहान्त पश्चात् शुन्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये उक्त रामसिंह व सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 8 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह अपने आपको रामसिंह का गोदीपुत्र नहीं होते हुए अपने नाम खिलाफ कानून राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वगैरह में गलत अंकित किया एवं करवाया गया जो इन्द्राज काबिल निरस्त के है एवं उक्त म्युटेशन संख्या 907 को शुन्य घोषित फरमाया जाना लाजमी है। अतः वादीनी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91 आर.टी.ए. 1955 के तहत पेशकर निवेदन है कि मौजा डिंगाई, तहसील पाली के खसरा नम्बर 132 रकबा 9 बीघा सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि में मृतक रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि होने से उक्त आराजी निस्बत् 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 1 को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 2 को एवं शेष 1/8 हिस्से के खातेदार मृत दरियादेवी पुत्री रामसिंहजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 को राजस्व रेकर्ड जामबंदी वगैर मे घोषित फरमाया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वगैरह मे

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

दुरूस्ती की जावे एवं मौजूदा जमाबन्दी में उक्त मृतक रामसिंह एवं तत्पश्चात् उसकी बेवा सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी निस्बत् गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 8 के नाम शुन्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये किये गये हैको निरस्त फरमाते हुए उक्त म्युटेशन सख्या 907 को शुन्य घोषित फरमाया जावे तथा उक्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 के नाम इन्द्राज फरमाया जावें।मौजा डिंगाई में स्थित वादग्रस्त आराजी में वादीनी अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर हम वर्ष की भांति इस वर्ष भी देखरेख एवं सुड सफाई एवं खडाई काश्त करने हेतु दिनांक 28.11.2015 को गई तो मौके पर प्रतिवादी संख्या 8 ने वादीनी को सुड सफाई करने से रोका एवं ऐलानिया धमकिया देते हुए कहा कि यह जमीन राज के रेकर्ड मे तुम्हारी माता सुमटी की मृत्यु के पश्चात मैने मेरा नाम इन्द्राज करवा दिया है जिससे उक्त मृतक सुमटी की सम्पूर्ण भूमि पर मैं फसल बाउंगा आयन्दा उक्त भुमि मे तुम सभी को तुम्हारे हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दूंगा एवं यह भी ऐलानिया धमकिया दी कि राज के रेकर्ड में मेरे नाम इन्द्राज होने से दीगर व्यक्तियों को तुम्हारी बेच दूंगा एवं कहा कि जमीन तुम्हे चाहिये तो तुम्हारे नाम करवाने की कार्यवाही करों अन्यथा तुम्हारे हिस्से की भूमि राज के रेकर्ड में मेरे नाम होने से मैं (प्रतिवादी संख्या 8 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह उफ़ छोगा) दीगर व्यक्तियों को बेचाण कर देगा तब वादीनी को हाजा वाद पेश करने की नौबत आई है। अतः हाजा वाद वादीनी की ओर से वाद में वर्णित भूमि उपरोक्त कथनोनुसार विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। हाजा वाद का विनायदावा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 8 तारीख 28.11.2015 को बमुकाम डिंगाई मे तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 8 ने अर्जीदावा के फिकरा नम्बर 5 अनुसार वादीनी के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में दखलअंदाजी की एवं हाजा वाद का विनायदावा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण बमुकाम डिंगाई, तहसील पाली मे तब तब भी माफिक वाद पैदा हुआ एवं होता रहा जब जब उक्त वादग्रस्त आराजी निस्बत गलत इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किये गये एवं किये जाते रहे। खसरा नम्बर 132 रकबा 9 बीघा सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि मौजा डिंगाई, तहसील पाली में मृतक रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि होने से उक्त आराजी निस्बत् 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 1 को, 1/8 हस्सि की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 2 को एवं शेष 1/8 हिस्से के खातेदार मृत दरियादेवी पुत्र रामसिंह जी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 7 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वगैरह मे दुरूस्ती की जावे एवं मौजूदा जमाबन्दी मे उक्त मृतक रामसिंह एवं तत्पश्चात् उसकी बेवा सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी निस्बत् गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 8 के नाम शुन्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये किये गये है को निरस्त फरमाते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 907 को शुन्य घोषित फरमाया जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा मृतक छोगसिंह उर्फ छोगा का होने से उक्त 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8 लगाय 12 के नाम इन्द्राज फरमाया जावें।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजुद सम्मन तामील के न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये। इसके विरूद्ध दिनांक 20.09.2016 को एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. वकील प्रतिवादी संख्या 3 से 7 व 9 से लगाय 12 को जवाबदावा का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दिनांक 29.01.2018 को वकील प्रतिवादी संख्या 3 से 7 व 9 से 12 का जवाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

5. वकील प्रतिवादी संख्या 08 की ओर से अपना जवाबदावा लम्बे समय बाद देर से पेश किया गया। जिस देरी का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 मय जवाबदावा में अंकित नहीं किया तथा न ही जवाबदावा देरी से पेश होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी। जिससे बाद सुनने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 08 एवं वकील वादी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2019 के प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा देरिना पेश जवाबदावा को पत्रावली से हटाते हुये पत्रावली के 'डी' पार्ट मे रखे जाने का आदेश पारित किया गया।

6. वादीयां ने अपने वाद को साबित करने हेतु शहादत में स्वंय वादीयां शान्तिदेवी पुत्री रामसिंह पत्नि दलपतसिंह ने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ–पत्र पेश किया एवं अपने बयानों से वादपत्र के साथ पेश वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड़ के दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाये गये। वादीयां द्वारा मुख्य परीक्षण में पेश शपथ–पत्र पर जिरह करने हेतु प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 एवं प्रतिवादी संख्या 08 के नियुक्त विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह का अवसर बन्द किया गया एवं पत्रावली वास्ते शहादत प्रतिवादी हेतु नियत की गयी परन्तु प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 के अधिवक्ता द्वारा अपनी शहादत पेश करने से इंकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 08 मय इनके नियुक्त विद्वान अधिवक्ता को बार–बार आवाजें लगाई गयी परन्तु न्यायालय में हाजिर नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 08 की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गयी।

7. बहस सुनी गयी।

8. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा पेश वादपत्र वर्णित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा, खसरा नम्बर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि मौजा डिंगाई, तहसील–पाली की आराजी के 1/2 हिस्से का वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं दरिया देवी के पिता रामसिंह एवं माता सुमटी होने से एवं उक्त रामसिंह व सुमटी के मृत्यु के वक्त उक्त मृतक रामसिंह एवं सुमटी की प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण बतौर जायन्दा पुत्रीयां के वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 की माता दरिया देवी जीवित मौजूद होने से उक्त आराजी के खातेदार रामसिंह व उसके पश्चात् उसकी बेवा सुमटी का देहान्त हो जाने के वक्त से आज दिन तक एकमात्र कब्जा–काश्त बतौर उत्तराधिकारीगण के वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 का लगातार शामलाती में चला आ रहा है एवं आज भी आराजी पर काबिज रह काश्त करते है जिससे अपने पिता रामसिंह व माता सुमटी के 1/2 हिस्से में से ऊपर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

वर्णित आराजी के 1/8 हिस्से की खातेदार वादीयां, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या एक, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या दो, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है जो शामलाती में उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करते थे, रहे वो काश्त करते है। उक्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 08 लगाय 12 का पिता एवं पति छोगसिंह उर्फ छोगा होने से एवं उक्त छोगसिंह उर्फ छोगा का देहान्त हो जाने से उक्त छोगसिंह उर्फ छोगा की 1/2 हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 08 लगाय 12 का कब्जा वो काश्त शामलाती में था एवं रहा है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार रामसिंह पुत्र जालमसिंहजी, जाति–रजपूत, निवासी डिंगाई मय इनकी पत्नि सुमटी के जीवनकाल में कोई जायन्दा पुत्र नहीं हुआ एवं न ही कोई इनका जायन्दा पुत्र है एवं न ही रामसिंह मय अपनी पत्नि सुमटी द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 08 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह को गोद ही लिया एवं न ही प्रतिवादी संख्या 08 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंह उक्त रामसिंह व सुमटी का गोदी पुत्र या पुत्र है ऐसी स्थिति में उक्त रामसिंह व सुमटी की मृत्यु के वक्त उक्त रामसिंह व सुमटी की जायन्दा पुत्रीयां वादीनी, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 की माता दरिया देवी जीवित मौजूद थी जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मंशानुसार कानूनन् एकमात्र प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण वादीयां, प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 ही थे, रहे एवं आज भी जीवित मौजूद है परन्तु प्रतिवादी संख्या 08 भंवरसिंह पुत्र छोगसिंहजी अपने आपको वादीनी के पिता रामसिंह का गोदी पुत्र नहीं होते हुए राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों मय इनके प्रतिनिधि व एजेन्ट से मिलावट कर वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामसिंह व सुमटी के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी भूमि निस्बत् शून्य म्युटेशन संख्या 907 के उक्त रामसिंह व सुमटी के स्थान पर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 की बजाय प्रतिवादी संख्या 08 का नाम राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी वगैरह में खिलाफ कानून गलत इन्द्राज किया गया जो काबिल दुरूस्ती के है एवं उक्त म्युटेशन संख्या 907 कानूनन् काबिल शून्य घोषित के है एवं माफिक वाद वादीनी अनुसार मौजा डिंगाई, तहसील–पाली के खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा, खसरा नबर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 317 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि में मृतक रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि होने से उक्त आराजी निस्बत् 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 को, 1/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी मृतक दरियादेवी पुत्री रामसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 को जमाबन्दी वगैरह में घोषित फरमाया जावें एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी वगैरह में दुरूस्ती की जावें एवं वादग्रस्त आराजी निस्बत् मौजूदा जमाबन्दी में उक्त मृतक रामसिंह एवं तत्पश्चात् उसकी बेवा सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी निस्बत् गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 08 के नाम शून्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये किये गये है को निरस्त फरमाते हुये म्युटेशन संख्या 907 को शून्य घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 12 अणची कंवर दौराने वाद फौत होने एवं उक्त मृतक अणचीकंवर के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 08 लगाय 11 पहले से हाजा वाद में पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 12 का नाम हाजा वाद से स्ट्रक ऑफ फरमाते हुये हटाया जावें।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

9. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 ने अपनी बहस में वादीनी के वादपत्र को स्वीकार कर निवेदन किया कि माफिक वाद वादीनी वादग्रस्त आराजी के घोषणा की डिक्री बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर की जाती है तो उन्हें आपत्ति नहीं है बल्कि सहमति है।

10. प्रतिवादी संख्या 08 मय इनके विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाजें लगवाई जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 08 मय इनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

11. बहस पर मनन किया एवं बहस पर उपलब्ध करायें गये दस्तावेजाज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर लाये गये तमाम हालातों, तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य तथा गवाह के बयानात् का अवलोकन एवं विवेचन से यह तथ्य जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम–डिंगाई की जमाबन्दी की संवत् 2056 से 2059 के खाता संख्या 347 में खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल सुमटी बेवा रामसिंह, छोगसिंह पि. जालमसिंह, जाति–रजपूत, सा. देह दर्ज है। ग्राम डिंगाई की जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 248 में खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भंवरसिंह गोद रामसिंह, छोगसिंह पि. जालमसिंह, जाति–रजपूत, सा. देह ना. सं. 907 दर्ज है। ग्राम डिंगाई की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 285 में खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नबर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, भंवरसिंह गोद रामसिंह छोगसिंह पि. जालमसिंह राजपूत सा. देह दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम डिंगाई की जमाबन्दी संतव् 2056 से 2059 के खाता संख्या 95 में खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा छोगा गोद लच्छा 1/2 सुमटी बेवा रामा हि. जाति–रजपूत, सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के खाता संख्या 98 में खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नबर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा छोगा गोद लच्छा 1/2 भंवरसिंह गोद रामा 1/2 हि. जाति–रजपूत, सा. देह खातेदार ना. स. 907 दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 114 में खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा छोगा गोद लच्छा 1/2 भंवरसिंह गोद रामा 1/2 हि. जाति–रजपूत, सा. देह खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार रामसिंह पुत्र जालमसिंहजी, जाति–रजपूत, निवासी डिंगाई मय इनकी पत्नि सुमटी के जीवनकाल में कोई जायन्दा पुत्र नहीं हुआ न ही कोई इनका जायन्दा पुत्र है ऐसी स्थिति में सुमटी की मृत्यु के वक्त उक्त रामसिंह व सुमटी की जायन्दा पुत्रीयां वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 की माता दरिया देवी जीवित मौजूद थी, रही जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मंशानुसार कानूनन् एकमात्र बतौर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 ही है। ग्राम डिंगाई के नामान्तरकरण संख्या 907 का अवलोकन करने के बाद पाया कि सुमटी बेवा रामसिंह की मृत्यु होने के बाद बतौर भंवरसिंह का नाम गोद पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है तथा भंवरसिंह के द्वारा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह सिद्ध हो जाये कि भंवरसिंह ही रामसिंह का गोदी पुत्र है बल्कि पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि भंवरसिंह छोगा उर्फ छोगसिंह का जायन्दा पुत्र है न कि वादीयां के पिता रामसिंह व माता सुमटी का गोदी पुत्र है। ऐसी स्थिति में वादीयां की प्रतिवादी खातेदारी भूमि निस्बत संख्या 08 द्वारा अपने नाम गोदी पुत्र की हैसियत से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड़ में खिलाफ कानून इन्द्राज करवाया गया है जो विधिपूर्वक नहीं होने से काबिल दुरूस्ती के हटाते हुए वादग्रस्त आराजी की खातेदार माफिक वाद वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 07 को घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम डिंगाई की स्थित खातेदारी कृशि भूमि के खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि में मृतक रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि होने से उक्त आराजी निस्बत् 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 01 को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 02 को एवं 1/8 हिस्से के खातेदार मृत दरिया देवी पुत्री रामसिंहजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तदनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी वगैरह में दुरूस्ती की जावे एवं मौजूदा जमाबन्दी में उक्त मृतक रामसिंह एवं तत्पश्चात् उसकी बेवा सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी निस्बत् गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 08 के नाम शून्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये किये गये है को निरस्त करते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 907 को शून्य घोषित किया जाता है। माफिक फैसला डिक्री मुर्तिब की जाकर पालना करने हेतु इस फैसला एवं डिक्री परचा की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दफ्तर दाखिल की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली
इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या 624 सन् 2015
अंतर्गत धारा 88,91 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

वादीः–

1. शांतिदेवी पुत्री रामसिंह पत्नि दलपतसिंह, जाति राजपूत (रजपूत), निवासी डिंगाई हाल निवासी गुन्दोज, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. सायरी पुत्री रामसिंहजी पत्नि घीसुसिंहजी, जाति रजपूत
2. उमी पुत्री रामसिंहजी पत्नि जोरसिंहजी, जाति रजपूत, निवासीगण, डिंगाई, तहसील पाली, जिला पाली

   मृतक दरिया पुत्री रामसिंहजी पत्नि गोपालसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी डिंगाई, हाल निवासी गोदावास, तहसील पाली के कायम मुकाम–
3. रिंकु पुत्री गोपालसिंह, उम्र 19 वर्ष
4. मंशा पुत्री गोपालसिंह, उम्र 17 वर्ष
5. कन्या पुत्री गोपालसिंह, उम्र 15 वर्ष
6. पूजा पुत्री गोपालसिंह, उम्र 12 वर्ष
7. जोगसिंह पुत्र गोपालसिंह, उम्र 10 वर्ष, जातिगण रजपूत, निवासीगण गोदावास, तहसील पाली, जिला पाली जरिये कुदरती वली पिता गोपालसिंह पुत्र मगसिंहजी, जाति रजपूत, निवासी गोदावास, तहसील पाली नाबालिगान प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 7 का

   मृतक छोगसिंह उर्फ छोगा पुत्र जालमसिंह गोदीपुत्र लच्छा, जाति रजपूत, निवासी डिंगाई, तहसील पाली पाली के कायम मुकामः–
8. भंवरसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा (तथाकथित अपने आपको रामसिंह का गोदी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पुत्र बताता है)

9. राजूसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा
10. गिरधारीसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा
11. छतरसिंह पुत्र छोगसिंहजी उर्फ छोगा
12. अणचीकंवर बेवा छोगसिंहजी उर्फ छोगा, जातिगण राजपूत, निवासीगण डिंगाई, तहसील पाली , जिला पाली
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली, जिला पाली।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व जब्बरसिंह मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88,91 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम डिंगाई की स्थित खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 132 रकबा 09 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 512 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 16 बीघा किस्म सेवज अव्वल, खसरा नम्बर 356 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 509 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि में मृतक रामसिंह व उसकी बेवा सुमटी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि होने से उक्त आराजी निस्बत् 1/8 हिस्से की खातेदार वादीनी को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 01 को, 1/8 हिस्से की खातेदार प्रतिवादीनी संख्या 02 को एवं 1/8 हिस्से के खातेदार मृत दरिया देवी पुत्री रामसिंहजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 03 लगाय 07 को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तद्नुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड़ जमाबन्दी वगैरह में दुरूस्ती की जावे एवं मौजूदा जमाबन्दी में उक्त मृतक रामसिंह एवं तत्पश्चात् उसकी बेवा सुमटी की उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी निस्बत् गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 08 के नाम शून्य म्युटेशन संख्या 907 के जरिये किये गये है को निरस्त करते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 907 को शून्य घोशित किया जाता है। नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य..... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 12 सन्. 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर
पाली

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.10 17:15:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: